संख्या 265/चौवालिस-1-23/80

प्रेषक,

श्री भक्तिदेव मुकर्जी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्योगों/निगमों,
के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।

लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 1980

विषय :- सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के सेवकों के लिये सेवा नियमावली तैयार किया जाना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-1

उपर्युक्त विषय पर मुझे सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो द्वारा, राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के सेवकों के लिये तैयार की गई आदर्श सेवा नियमावली की एक प्रति मार्ग दर्शनार्थ संलग्न करते हुए, यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि जिन सार्वजनिक उद्योगों/निगमों द्वारा अपने सेवकों के लिये सेवा नियमावली तैयार कर ली गई है, वे कृपया उसका मिलान उक्त आदर्श सेवा नियमावली (संलग्न) से कर लें और जहां उचित समझें अपने निगम की सेवा नियमावली में तद्नुसार संशोधन कर लें। यदि इन नियमों को लागू करने में उन्हें कोई आपत्ति या कठिनाई हो तो वे इस सम्बन्ध में अपने प्रशासनिक विभाग तथा सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो से आवश्यक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

भवदीय,
भक्तिदेव मुकर्जी,
उप सचिव।

संख्या 265 (1)/चौवालिस-1-23/80, तद्दिनांक

प्रतिलिपि शासन के सम्बन्धित सचिवों एवं विशेष सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-2

आज्ञा से,
भक्तिदेव मुकर्जी,
उप सचिव।